न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 542 सन 2017

अनवान :–

1. साहबराम पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. भादरराम पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. आदराम पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर
3. रामेश्वरी 4 कलावती 5 मंजू 6 कमला 7 सावित्री 8 मामकोरी पुत्रीया केशाराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।

9. विद्या पत्नी गिरधारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
10 श्रीचन्द पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
11 जसवन्त पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर
12 इन्द्रा पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर
13 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इष्पाकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 1.2.19

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा टोपरिया के खाता संख्या 167/149 के प0न0 246/394(6) के किला न0 12–14/0.759हैक , 17 ता 19/0.759हैक , 22/3 की 0.1400हैक 23/3 की 0. 2280 ,24/2 की 0.2270 ,कुल किता 9 की 2.1130हैक एवं प0न0 249/399(41) के किला न0 11/0.2530 ,20/0.2530 ,प0न0 248/399(42) के किला न0 12 ता 14/0.759हैक , 15 ता 17/0.759हैक 18 ,19/0.506हैक कुल 4.6430हैक भूमि जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है रोही मौजा टोपरिया के तहसील नोहर के खाता संख्या 167/149 की कुल 4.6430हैक भूमि में वादी 2.024हैक , व प्रतिवादी संख्या 1 का 1.240हैक प्रतिवादी संख्या 2 का 1. 239हैक एवं मृतक केशाराम का 0.140हैक भूमि के खातेदार काश्तकार है वादी एवं प्रतिवादी का खाता मुश्तरका रहने से रकमराज व काब्जा काश्त को लेकर विवाद रहता है इसलिये अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया एवं रजिस्टर सम्मन से तलब करने पर भी उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की जाकर वकील वादी को सुना जाकर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार राजस्व नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि रोही मौजा टोपरिया के खाता संख्या 167/149 के प0न0 246/394(6) के किला न0 12–14/0.759हैक , 17 ता 19/0. 759हैक , 22/3 की 0.1400हैक 23/3 की 0.2280 ,24/2 की 0.2270 ,कुल किता 9 की 2.

सहायक कलक्टर एव

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

1130हैक एवं प0न0 249 / 399(41) के किला न0 11 / 0.2530 ,20 / 0.2530 ,प0न0 248 / 399(42) के किला न0 12 ता 14 / 0.759हैक , 15 ता 17 / 0.759हैक 18 ,19 / 0.506हैक कुल 4.6430हैक भूमि जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है रोही मौजा टोपरिया के तहसील नोहर के खाता संख्या 167 / 149 की कुल 4.6430हैक भूमि में वादी 2.024हैक , व प्रतिवादी संख्या 1 का 1.240हैक प्रतिवादी संख्या 2 का 1.239हैक एवं मृतक केशाराम का 0.140हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार तजबीज तकसीम की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे।

तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपने पत्रांक 372 दिनांक 24.01.2019 के द्वारा निर्देशानुसार तजबीज तकसीम की रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया वकील वादी तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग करवाने में सहमत है। इसप्रकार वादी तहसीलदार नोहर की तजबीज तकसीम रिपोर्ट पर सहमत होने के कारण वाद वादी मुताबिक तहसीलदार नोहर की तजबीज तकसीम रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि साहबराम पुत्र केशाराम जाति जाट साकिन टोपरिया खातेदार रहन पीएनबी शाखा थालडका रोही मौजा ग्राम टोपरिया बारानी के प0न0 248 / 399(42) किला न0 12 ता 19 / 2.0240हैक , कुल 2.0240हैक्टयर प्रथम बारानी एवं भादरराम पुत्र केशाराम जाति जाट साकिन टोपरिया खातेदार रहन पीएनबी शाखा थालडका मुर्त रोही मौजा ग्राम टोपरिया बारानी के प0न0 246 / 294(6) किला न0 12 ता 13 / 0.506हैक , 18 ता 19 / 0.506हैक , 23 / 2 की 0.228हैक कुल 1.240हैक बारानी प्रथम तथा आदराम पुत्र केशाराम जाति जाट साकिन टोपरिया खातेदार रोही मौजा ग्राम टोपरिया बारानी के प0न0 249 / 399(41) किला न0 11 ,20 / 0.506हैक , प0न0 246 / 394(6) किला न0 14 ,17 / 0.506हैक , 24 / 2 की 0.227हैक कुल 1. 2390हैक बारानी प्रथम एवं साहबराम भादरराम आदराम रामेश्वरी कलावती मामकोरी मंजु कमला सावित्री पुत्र / पुत्रीया केशाराम बहिब 0.1260हैक विधा पत्नी गिरधारी श्रीचन्द जसवन्त इन्द्रा पुत्र / पुत्री गिरदावरी बहिब 0.014हैक जाति जाट साकिन टोपरिया खातेदार रोही मौजा टोपरिया के प0न0 246 / 394(6) किला न0 22 / 3 की 0.140हैक कुल 0.140हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आष्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 1.2.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official